



बिहार सरकार

# शिक्षा विभाग



## मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति हेतु सूचना

सूचित किया जाता है कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों / संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में **₹0 50,000/- (पचास हजार रुपये)** दिया जाना है।

1. इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को देय होगा, जो निम्न शर्तों को पूरी करती हों :-

(क) बिहार के स्थायी निवासी हों।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संब) डिग्री महाविद्यालयों / संस्थानों से **दिनांक 31.03.2021 के बाद** स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो अर्थात् उनका परीक्षाफल **31.03.2021** के बाद प्रकाशित हुआ हो।


2. छात्राएँ ऑनलाईन पोर्टल: **medhasoft-bih-nic-in@mkuysnatak 2021** पर आवेदन करें।

3. ऑनलाईन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाईन निर्देशों का पालन करें। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक के मोबाईल पर सूचना प्राप्त होगी।

4. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का विश्वविद्यालय द्वारा Upload किये गये परीक्षाफल से जाँच के उपरान्त विभाग के स्तर से राशि लाभुक के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।

5. लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार राज्य में अवस्थित किसी शाखा में होना चाहिये।

6. योजना से संबंधित विस्तृत निर्देश विभागीय वेबसाईट **Educationbihar-gov-in** पर देखा जा सकता है। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं० **-9534547096 8986294256** एवं -मेल- **mkuysnatakhelp@gmail-com** पर संपर्क करें।



निदेशक, उच्च शिक्षा